accepted the Government instructions in this regard issued in October, 1993. So far as teaching posts are concerned, according to the procedure adopted by the University, one out of five posts of lecturer in each subject is meant for candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes However, if no suitable candidate belonging to these categories is available, the post will be filled up by any other suitable candidate. For the posts of Professor and Reader, other things being equal, preference will be given to candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. All the Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates will be interviewed first and the Selection Committee will record its reasons if a SC/ST candidate is not selected.

(c) Does not arise.

Pay Commission for University and School Teachers

6105. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Delhi University Teachers Association has demanded that a Pay Commission should be set up for the university and school teachers;

(b) whether Government propose to either accede to their demand or to include the revision of pay structures and service conditions etc. of the university and school teachers in the terms of reference of the Fifth Pay Commission set up recently for the Central Government employees, etc.; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) The University Grants Commission has informed that the Delhi University Teachers Association has demanded to set up a Pay Commission to consider pay revision of university and college teachers.

(b) The University Grants Commission has agreed in principle to set up a committee for revision of pay scales of university and college teachers.

(c) Does not arise.

महिलाओं के अधिकारों के संबंध में पुरी के शंकराचार्य का प्रेस साक्षात्कार

6106. **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1994 के हिन्दी अखबार "जनसत्ता" में प्रकाशित पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द के इस आशय के साक्षात्कार की ओर दिलाया गया है कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को स्थान या कोई विशेष स्थान के नाम पर बंधक बनाया जा रहा है ; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि स्वामी निश्चलानन्द के व्यान के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने से उनके शील की रक्षा नहीं हो पाती है ;

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त विचारों से सहमत है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार कामकाजी महिलाओं को उनके कार्य स्थान पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है ; और

(ङ) पढ़ी-लिखी महिलाओं को समाज के पुरुषों के बराबर अधिकार और उन्हें मूल-अधिकार दिलाने, सामाजिक स्तर सुधारने, आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए सरकार के पास क्या-क्या योजनायें हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती जास्ति राजेश्वरी : (क) जी, हां । जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का संबंध है, सरकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिला-पुरुष संबंधी परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाने और महिलाओं-पुरुषों में समानता लाने के उद्देश्य से चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से महिलाओं के दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए वचनबद्ध है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । महिलाओं के शोलभंग की कोशिशों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 में सभी महिलाओं के लिए, जिनमें महिला कामगार भी शामिल हैं, कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है । कार्य-स्थलों पर महिलाओं के शोषण की रोकथाम के लिए विभिन्न श्रम कानूनों अर्थात् कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951; खान अधिनियम, 1952 इत्यादि में विशेष प्रावधान किए गए हैं ।

(ङ.) भारत के संविधान के अंतर्गत महिलाओं को न केवल समानता प्रदान की गई है, बल्कि राष्ट्र को भी महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपाय करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है । राष्ट्र ने महिलाओं को सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अत्याचारों से बचाने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, अनैतिक पणन (दमन) अधिनियम, 1956, दहेज (निषेध) अधिनियम, 1961, स्त्री अशिष्ट निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 और सती (निवारण) अधिनियम, 1987 इत्यादि जैसे महिला विशिष्ट और महिलाओं से संबंधित कानून बनाए हैं । सरकार (1) नोराड, स्टेप, सी० सी० ई० वी० टी०, एस० ई० पी०, डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०, आई०आर० डी० पी० इत्यादि (जिनमें महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण है) जैसे प्रशिक्षण-सह-आयोत्पादक कार्यकलापों; (2) कामकाजी महिला होस्टलों, अल्पावास गृहों, शिशुगृहों, परिवार परामर्श केंद्रों इत्यादि जैसी सहायक सेवाओं; और (3) महिलाओं के लिए जागृति विकास और कानूनी साक्षरता के द्वारा उनके अधिकारों के बारे में जानकारी के प्रचार जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है । समाज में महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने तथा महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सामाजिक रवैये में तबदीली लाने के लिए पत्र-पत्रिकाओं और इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिए भी प्रयास किए जाते हैं ।

जामिया उर्दू अलीगढ़ के "अदीब"/"अदीब कामिल" पाठ्यक्रमों को मान्यता

6107. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जामिया उर्दू, अलीगढ़, के "अदीब", "अदीब माहिर" और "अदीब कामिल" पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जामिया उर्दू, अलीगढ से कोई संबंध नहीं है । परन्तु सरकार ने केंद्रीय सरकार के अंतर्गत रोजगार के उद्देश्य से जामिया उर्दू की संबंधित परीक्षाओं को मान्यता दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Lack of civic and Other Amenities in some Kendriya Vidyalayas of Delhi

6108. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether non-availability of drinking water, non-functioning of